उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-868/62-2-2017-13एम0आई0/2017
लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

लघु सिंचाई खण्ड, जालौन में कृषक समूहों की बोरिंगों फेल होने, कृषक समूह के देय धनराशि का भुगतान बाधित रखने एवं घटिया मानक व गुणवत्ता विहीन पाईप निर्गत करने में बरती गयी गम्भीर अनियमितता की जॉच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जालौन सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा, श्री मूँगाराम भाष्कर, प्रभारी सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद जालौन, श्री कृपाशंकर पाण्डे, अवर अभियंता एवं श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, अवर अभियंता, लघु सिंचाई जनपद जालौन के विरूद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण् अभियंता/स्टाफ आफिसर, (अधिष्ठान) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिकारियों के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर एक माह के भीतर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-868(1)/62-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण् अभियंता/स्टाफ आफिसर, (अधिष्ठान) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ/जॉच अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जालौन सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा, श्री मूँगाराम भाष्कर, प्रभारी सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद जालौन, श्री कृपाशंकर पाण्डे, अवर अभियंता एवं श्री कृष्णपाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिंह गुर्जर, अवर अभियंता, लघु सिंचाई जनपद जालौन के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र की दो-दो प्रतियाँ साक्ष्यों सहित संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह कृपया आरोप पत्र संबंधित अधिकारियों को तामील कराकर तामीली की सूचना से शासन को अवगत कराये तथा जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1022/स्था0-1(52)/जांच -जालौन/2017, दिनांक 28.05.2016 के संदर्भ में।

3- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

4- संबंधित अधिकारियो की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।